राजस्व वाद संख्या:—120/2018
नारंगी आदि बनाम हनुमान सिंह आदि
निर्णय दिनांक:— 26/07/22

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:— सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.— 120/2018 **जीसीएमएस नम्बर :— 2019/00961**

1. नारंगी पत्नी जस्सु सिंह
2. कृष्ण सिंह पुत्र जस्सु सिंह
3. जनक सिंह पुत्र जस्सु सिंह
4. आशा पुत्री जस्सु सिंह
5. सरोज पुत्री जस्सु सिंह
6. सरिता पुत्री जस्सु सिंह
7. मूल सिंह पुत्र रामदेव सिंह
8. नरेश सिंह पुत्र रोहताश सिंह
9. भंवरी देवी पत्नी रोहताश सिंह समस्त जाति राजपूत निवासी बुहाना तह0 बुहाना जिला झुंझुनू

..........वादीगण

बनाम

1. हनुमान सिंह पुत्र बच्चन सिंह।
2. रामस्वरूप पुत्र बच्चनसिंह (फौत)
   2/1 बजरंग सिंह पुत्र श्री रामस्वरुप सिंह
   2/2 गिरवर सिंह पुत्र श्री रामस्वरुप सिंह
   2/3 राजेश सिंह पुत्र श्री रामस्वरुप सिंह
   2/4 बाला देवी पत्नी श्री रामस्वरुप सिंह
3. रामपाल पुत्र जमनसिंह (फौत)
   3/1 आनन्द सिंह पुत्र रामपाल
   3/2 संजय सिंह पुत्र रामपाल समस्त जाति राजपूत निवासी बुहाना तह0 बुहाना जिला झुंझुनू
4. लक्ष्मी पुत्री मंगेज सिंह पत्नी समदर सिंह नवीरा चन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी ढाणी बाढान त0 खेतड़ी
5. सन्तोष पुत्री मंगेज सिंह पत्नी भादर सिंह नवीरा चन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी श्यामपुरा तह0 लुहारु जिला भिवानी (हरि0)
6. विक्रम सिंह पुत्र लाभुसिंह नवीरा चन्द्रसिंह (फौत)
   6/1 शर्मीला देवी पत्नी विक्रम सिंह
   6/2 तनु पुत्री विक्रम सिंह नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता शर्मीला देवी पत्नी विक्रम सिंह
   6/3 मनीषा पुत्री विक्रम सिंह जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता शर्मीला देवी पत्नी विक्रम सिंह
   6/4 हिमांशु पुत्र विक्रम सिंह जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता शर्मीला देवी पत्नी विक्रम सिंह
   6/5 प्रिंस पुत्र विक्रम सिंह जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता शर्मीला देवी पत्नी विक्रम सिंह
7. रिंकू पुत्र लाभू सिंह नवीरा चन्द्र सिंह
8. वीर सिंह पुत्र किशोर सिंह नवीरा चन्द्र सिंह
9. मैनपाल सिंह पुत्र किशोर सिंह नवीरा चन्द्र सिंह [illegible] राजपूत निवासी बुहाना तह0 बुहाना जिला झुंझुनू
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय बुहाना

...प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:21:08 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

दावा — खाता विभाजन,एवं घोषणात्मक

—:निर्णयः—

वादीगण की ओर से वाद पत्र रहा किः— दिनांक :— 26/07/22

1. यह कि वाके ग्राम बुहाना तह0 बुहाना जिला झुंझुंनू राज0 में स्थित भूमि हाल ख0न0 1190 रकबा 0.38है0 व ख0न0 1191 रकबा 0.38है0 कुल किता 2 रकबा 0.76है0 भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की पैत्रक भूमि है।
2. यह कि वाद पत्र के खण्ड स0 1 में वर्णित भूमि में वादीगण स0 1 लगायत 6 का 1/9 हिस्सा वादी स0 7 का 1/9 हिस्सा, वादी स0 8 व 9 का 1/9 हिस्सा व 1/3 हिस्सा प्रति0 स0 1 के नाम, 1/3 हिस्सा वादीगण व प्रतिवादीगण के हकपूर्वाधिकारी गणपत सिंह पुत्र इन्द्र सिंह के नाम दर्ज रिकार्ड है।
3. यह कि वादीगण व प्रतिवादीगण के हकपूर्वाधिकारी गणपत सिंह जिनका वाद वर्णित भूमि में 1/3 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है नाऔलाद फौत होने से 1/3 हिस्से में से वादीगण का 1/12 हिस्सा तथा प्रति0 स0 1 का 1/24 हिस्सा व 1/24 हिस्सा प्रति0 स0 2 व 1/12 हिस्सा प्रति0 स0 3 का व 1/12 हिस्सा प्रति0 स0 4 लगायत 9 का है इस प्रकार वादीगण स0 1 लगायत 6 का हिस्सा 1/9+ 1/36 वादीगण स0 7 का 1/9+ 1/36 व वादीगण स0 8 व 9 का 1/9 +1/36 होना चाहिए। इसलिए वादीगण अपने हिस्से की घोषणा करवाना चाहते है।
4. यह कि वादीगण व प्रतिवादीगण के हकपूर्वाधिकारी गणपत सिंह फौत होने से उनका हिस्सा वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज नही होने से वादीगण को दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ तथा वादीगण व प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज कास्त है लेकिन विधित बंटवारा भी नही किया हुआ है।
5. यह कि वाद वर्णित भूमि वाके ग्राम बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुंनू राज0 में स्थित होने के कारण न्यायालय श्रीमान जी को सुनने का श्रवणाधिकार प्राप्त है।
6. यह कि वाद पत्र उचित न्यायालय शुल्क पर पेश है।
7. यह कि वाद पत्र के साथ नवीनतम अपटुडेट रिकार्ड पेश है।
8. यह कि वाद पत्र के साथ वादी का शपथ पत्र संलग्न है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि—

(क) कि वाके ग्राम बुहाना तह0 बुहाना जिला झुंझुंनू राज0 में स्थित भूमि हाल ख0न0 1190 रकबा 0.38है0 व ख0न0 1191 रकबा 0.38है0 कुल किता 2 रकबा 0.76है0 में वादी स0 1 ल0 6 को 1/9 +1/36 हिस्सा तथा वादी स0 7 को 1/9 +1/36 हिस्सा व वादी स0 8 व 9 को 1/9 +1/36 हिस्से का खातेदार कास्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

(ख) कि वाके ग्राम बुहाना तह0 बुहाना जिला झुंझुंनू राज0 में स्थित भूमि हाल ख0न0 1190 रकबा 0.38है0 व ख0न0 1191 रकबा 0.38है0 कुल किता 2 रकबा 0.76है0 में वादीगण का खाता विभाजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

(ग) कि वाद वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जावे।

(घ) कि अन्य अनुतोष जो आयाचित रह गया हो वादीगण को दिलाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:21:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.) सत्यमेव जयते

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज.)

दावा दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। सभी प्रतिवादीगण की सम्यक तामिल की गई। प्रतिवादी सं. 1, 2, 4, 6, 7 की ओर से श्री राजेश यादव एडवोकेट की ओर से वकालतनामा पेश किया गया। इनकी ओर से अधिवक्ता ने दिनांक 21–12–2021 को No instructions किया गया। प्रतिवादीगण की बावजूद सम्यक तामील के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी की ओर से साक्ष्य दस्तावेजो में नकल जमाबंदी सम्वत् 2070–73, नकल नक्शा किस्तवार, पेश किए गए। मौखिक साक्ष्य में पी.डब्लु–1 नारंगी का शपथ पत्र पेश किया गया।

बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। वादीगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने अपने खाता विभाजन का अनुतोष वापिस विड्रा किया गया। अतः न्यायालय वाद वादी अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

–:: आदेश ::–

न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं स्थित भूमि जमाबंदी सं. 2070–73 के खाता संख्या 1240 के हाल खसरा नम्बर 1190 रकबा 0.38 है., खसरा नम्बर 1191 रकबा 0.38 है. कुल किता 2 कुल रकबा 0.76 है. भूमि मे से वादी संख्या 1 लगायत 6 को 5/36 हिस्सा, वादी संख्या 7 को 5/36 हिस्सा, वादी संख्या 8 लगायत 9 को 5/36 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार, बुहाना को तहरीर जारी हो। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

निर्णय आज दिनांक 26/07/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:21:08 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अंतिम डिकी
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद स. 120 / 2018

नारंगी आदि बनाम हनुमानसिंह आदि

दावा खांता विभाजन एवं धोषणात्मक

वादीगण की ओर से श्री **सुरेशसिंह तंवर एडवोकेट** की उपस्थिति एवं प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में आज तारीख 26/07/22 को **श्री सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता हैं और डिकी दी जाती हैं कि –

"न्यायालय वाद वादीगण डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं स्थित भूमि जमाबंदी सं. 2070–73 के खाता संख्या 1240 के हाल खसरा नम्बर 1190 रकबा 0.38 है., खसरा नम्बर 1191 रकबा 0.38 है. कुल किता 2 कुल रकबा 0.76 है. भूमि मे से वादी संख्या 1 लगायत 6 को 5/36 हिस्सा, वादी संख्या 7 को 5/36 हिस्सा, वादी संख्या 8 लगायत 9 को 5/36 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार, बुहाना को तहरीर जारी हो।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 26/07/22 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:21:08 IST
Reason: SelfAttested